संख्या-64/2022/566(4)/001-23-9-2022-13नाबार्ड(स0मा0)-2019टीसी2

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊ दिनांक 01 जुलाई, 2022**

विषय - वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्ग के 04 चालू कार्यो पर व्यपगत धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रों(निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 04 कार्यो हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त चालू कार्यो पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में तालिका के स्तम्भ-9 के अनुसार निम्न विवरणानुसार कुल रू0 1,96,44,000/- (रूपये एक करोड़ छियानबे लाख चौवालीस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	मुख्य अभियंता(मु0-1) का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	03/2022 तक आवंटित धनराशि	व्यपगत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	248/31पी0जे0(आ0)/आरएसडी-5/22, दि0 14.06.2022	सोनभद्र	चोपन कोटा कोन खरौदी मार्ग(अ0जि0मा0) कि0मी0 32 के दांयी तरफ घघिया मिटिहिनिया मेन रोड के कि0मी0 4(100) से सिन्होनवादामर प्रा0वि0 तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य एवं 1×3 मी0 स्पान आर0सी0सी0 कलवर्ट	66/2020/287/23-9-2022-12नाबार्ड (स0मा0)/2019, दि0 19.03.2020	102.40	101.55	40.50	40.50
2	248/31पी0जे0(आ0)/आरएसडी-5/22, दि0 14.06.2022	सोनभद्र	चोपन कोटा कोन खरौदी मार्ग(अ0जि0मा0) कि0मी0 33 के बांयी तरफ लोहवे ग्राम के कि0मी0 0(400) से बायें लोहवे से बिछलागड़ई सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य एवं 1×3 मी0 स्पान आर0सी0सी0 कलवर्ट	66/2020/287/23-9-2022-12नाबार्ड (स0मा0)/2019, दि0 19.03.2020	100.15	98.68	40.00	40.00
3	249/31पी0जे0(आ0)/आरएसडी-5/22, दि0	जौनपुर	कुन्डहा सुजानगंज मछलीशहर मि डयाहूँ केराकत(एम0डी0 आर0-151ई0) के कि0मी0 9 से भैंसहा रामपुर मार्ग से भैंसहा	52/2021/122/23-9-2021-19नाबार्ड (स0मा0)/2020, दि0 01.03.2021	164.85	131.88	98.26	98.26

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्रम सं0	मुख्य अभियंता(मु0-1) का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	03/2022 तक आवंटित धनराशि	व्यपगत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	14.06.2022		रामपुर के चमरिया सम्पर्क मार्ग।					
4	250/31पी0जे0(आ0)/आरएसडी-5/22, दि0 14.06.2022	अम्बेडकर नगर	दोस्तपुर, अकबरपुर, जलालपुर न्योरी मार्ग(प्र0जि0मा0-155ई) के कि0मी0 52 से दांये तरफ निकलने वाले पिण्डोरिया सम्पर्क मार्ग के कि0मी0 3 से बांयें सीताघाट सम्पर्क मार्ग।	52/2021/122/23-9-2021-19नाबार्ड (स0मा0)/2020, दि0 01.03.2021	106.83	92.89	17.68	17.68
		योग						**196.44**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गो को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्धर कराया जाय।

(3) स्तम्भ-4 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

(4) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,96,44,000 (रुपये एक करोड़ छियानबे लाख चवालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043376400 नाबार्ड वित्त पोषित आर आई डी एफ योजना अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था (जिला योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या-64/2022/566(4)/001-23-9-2022-13नाबार्ड(स0मा0)-2019टीसी2, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, सोनभद्र/जौनपुर/अम्बेडकरनगर।
3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, सोनभद्र/जौनपुर/अम्बेडकरनगर।

6- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।

8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

9- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

10- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।

11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।

12- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2

13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।